इसे वेबसाईट ऋक्षक.govtpressmp.nic.io से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक १४१]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक ३ जून २०२५-ज्येष्ठ १३, शक १९४७

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जून 2025

क्रमांक CT/4/2/0001/2024-Sec-1-05(CT)(21): मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा रिजस्ट्रीकृत व्यवसाईयों को अधिस्चित करती है, जिनके वर्ष 2023-2024 के कर निर्धारण के मामले मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का 74), मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) के अधीन लंबित हैं तथा यह निर्देश देती है कि वेट अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 की धारा 13 तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 की धारा 13 तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 की धारा 13 के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियमों के तहत् उनका कर निर्धारण निम्नलिखित अपेक्षाओं, प्रतिबंधों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कर दिया गया समझा जाएगा अर्थात :-

- 1. रिजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, जो वेट अधिनियम, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल स्पिरिट उपकर अधिनियम के अधीन देय कर/उपकर के भुगतान के पश्चात् वेट अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिस्चित किसी भी तेल कम्पनी से या किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से मध्यप्रदेश राज्य के भीतर पेट्रोल, डीजल और कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस, के क्रय पश्चात् उनके रिटेल आउटलेट्स हों (जिन्हें सामान्य रूप से पेट्रोल पम्प कहा जाता है)।
- 2. अधोलिखित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी इस अधिसूचना के तहत् पात्र नहीं होंगे -
 - (क) ऐसे व्यवसाई जिनके मामलों में वर्ष 2023-2024 के लिए कर अपवंचन का पता लगा हो।
 - (ख) ऐसे व्यवसाई जिनके मामलों में वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन वर्ष 2023-2024 के लिए कर की अतिरिक्त राशि के लिए सूचना जारी कर दी गई हो तथा इस अपेक्षा का पालन आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व नहीं किया गया हो।
 - (ग) ऐसे व्यवसाई जिनके मामलों में कर संपरीक्षा के दौरान वेट अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन वर्ष 2023-2024 के लिए सूचना जारी कर दी गई हो तथा आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व इस अपेक्षा का पालन नहीं किया गया हो।

- (घ) ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियमों के अधीन संलग्न फार्म में किसी प्रकार की वापसी का दावा किया गया हो।
- 3. आवेदन प्रस्तुत किया जाना :- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का 74), मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) के अधीन पात्र व्यापारियों द्वारा इस अधिसूचना से

संलग्न फार्म क, फार्म ख, फार्म ग एवं फार्म घ में वर्षवार एवं अधिनियमवार पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।

- 4. आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा : पात्र व्यापारियों द्वारा, इस अधिसूचना के संलग्न फार्म में, जो भी लागू हो, आवेदन इस अधिसूचना के प्रकाशन से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
- 5. कर निर्धारण अधिकारी :- आवेदन, उस उपयुक्त कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके समक्ष वर्ष 2023-2024 के कर निर्धारण प्रकरण लंबित होंगे।
- 6. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-
 - (क) संबंधित वर्ष के लिए भुगतान किए गए कर तथा ब्याज की रकम के, यदि कोई हो, भुगतान के साक्ष्य के रूप में चालान की प्रति।
 - (ख) प्रत्येक व्यापारी जिसका संबंधित वर्ष 2023-2024 में टर्न ओव्हर रूपये दो करोड़ से अधिक है, वह आयकर के प्रयोजन के लिए तैयार की गई संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि पहले ही प्रस्तुत नहीं की गई हो, प्रस्तुत करेगा।
 - (ग) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन (प्रारूप-सी/एफ/ई-1/ई-2/एच/आई) कर में छूट तथा कर की रियायती दर के लिए विहित घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र, उनकी सूची के साथ मूल प्रति में संलग्न किए जाएंगे।
- 7. अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अधीन कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा :-
 - (क) यदि कर निर्धारण अधिकारी, जिसके समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसे अपूर्ण पाता है अथवा गणना के संबंध में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो वह आवेदक को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा।
 - (ख) यदि यथापूर्वोक्त कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाएगा और सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी तथा आवेदक को संसूचित किया जाएगा।
 - (ग) आवेदक, त्रुटियों को यदि कोई हों, दूर करेगा और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। त्रुटियों के सुधार के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी आवेदन स्वीकार करेगा और उस का कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा।
 - (घ) यदि व्यापारी सुनवाई हेतु नियत तारीख को अनुपस्थित रहता है या त्रुटि नहीं सुधारी जाती है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसकी सूचना व्यापारी को भेजी जाएगी।
 - (इ) आवेदन को स्वीकार किए जाने की सूचना आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजी जाएगी। उपरोक्त वर्णित अविध के भीतर व्यापारी को संसूचना नहीं दिए जाने की दशा में, यह उपधारणा की जाएगी कि उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।
 - (च) संलग्न फार्म में प्रस्तुत आवेदन पत्रों के साथ अतिरिक्त रूप से जमा योग्य राशि के भुगतान के प्रमाण स्वरूप चालानों की प्रतियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएं।
 - (छ) आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा अधिसूचना के क्रियान्वयन के लिए समुचित अनुदेश जारी किए जा सकेंगे।

प्रारूप-क

मध्यप्रदेश	वेट अधिनियम	के अधीन	वर्ष	2023-2024	की	अवधि	के	लिए	कर	निर्धारण
प्रकरण में	अधिसूचना क्रम	iक		दिनांक			के	अधी	न अ	ावेदन
प्रति,										
कर वि	नेर्धारण अधिकारी,									

	****		1
1.	व्याप	री का नाम एवं पता	1
2.	(टिन) करदाता का पहचान क्रमांक	3
3.	क्या	धारा 18 की उपधारा (5) या धारा	
	19 ਵ	h उपधारा (6) के अधीन आलोच्य	<u>~~</u>
	अवधि	ो के संबंध में किसी अवधि के लिए	हॉ ∕ नहीं
	नोटिः	म जारी किया गया था यदि "हाँ" तो	
	नोटि	म की प्रतिलिपि संलग्न करें।	
4.	ऐसे व	नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा	
	दिनां	क	
5.	ग्रास	टर्नओवर	
6.	कटौरि	तेयाँ	
	(क)	पृथक से प्रभारित भाडा या परिदान	
		या संस्थापन व्यय की राशि	
	(ख)	नगद छूट की राशि	, A
	(ग)	छह माह के भीतर विक्रय वापसी	
		की राशि	*
	(ঘ)	कर मुक्त घोषित किए गए माल	Α
		की विक्रय राशि	
	(舌)	प्रदेश के बाहर विक्रय/ब्रांच ट्रांसफर	
		की राशि के साथ (एफ फार्म तथा	
		सूची संलग्न करें)	
	(च)	अंतर्राज्यीय विक्रय राशि	
	(छ)	भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम	
		में विक्रय	
	(ज)	प्रान्त के भीतर एस.ई.जेड. इकाई	
		को विक्रयं (साक्ष्य सहित)	
	(鉙)	अन्य कटौतियाँ (विवरण एवं साक्ष्य	
		दें)	
		कुल कटौतियाँ (क से झ तक)	

कर योग्य (टर्नओवर) (5-	6)								
. कर यो	कर योग्य कुल राशि (टर्नओवर) की दर के अनुसार वर्गीकरण								
कर की दर	कर योग्य विक्रय	देय कर							
33 प्रतिशत		1							
29 प्रतिशत									
23 प्रतिशत									
19 प्रतिशत		N.							
14 प्रतिशत									
कुल योग									

9.	आगत कर में छूट	का अभिशून्यन (रिवर्सल) (स्वयं वे	ह द्वारा उपयोग किया गया, वाष्पीकरण								
	इत्यादि)										
	कर की दर	अभिश्ल्यन हेतु क्रय राशि	रिव्हर्सल की गयी आगत कर की								
			राशि, जिसका अभिशूल्यन किया गया।								
	33 प्रतिशत										
	29 प्रतिशत										
	23 प्रतिशत										
	19 प्रतिशत										
	14 प्रतिशत										
	कुल योग										

10.	धारा १-कक के अधीन अतिरिक्त कर										
	अतिरिक्त कर प्रति लीटर	कुल विक्रय (लीटर में)	देय अतिरिक्त कर								
	4.50 रूपए										
	2.50 रूपए										
	3.00 रूपए										
	1.50 रूपए										
	कुल योग										

11.	धारा 9-कक के अंतर्गत अति	नेरिक्त कर में	आगत कर	छूट का	। अभिशून्यन (रिवर्सल) (स्वयं के द्वारा
	उपयोग किया गया, वाष्पीकर	(ण इत्यादि)			
	अतिरिक्त कर प्रति लीटर	अभिशून्यन	हेतु क्रय	राशि	अतिरिक्त कर में आगत कर की
		(लीटर में)	E		राशि,जिसका अभिश्ल्यन किया गया
	4.50 रूपए				
	2.50 रूपए				W
	3.00 रूपए				
	1.50 रूपर				
	कुल योग				

	कुल कर दायित्य
12. कुल योग (8+9+10+11)	

	8	गना	
	दर /अतिरिक्त कर प्रति		आगत कर रिबेट
	लीटर र	ाशि/क्रय मात्रा (लीटर मे)	
	33 प्रतिशत		
	29 प्रतिशत		
	23 प्रतिशत		
	19 प्रतिशत		
	14 प्रतिशत		
	4.50 रूपए प्रति लीटर		
	2.50 रूपए प्रति लीटर		
	3.00 रूपए प्रति लीटर		
	1.50 रूपए प्रति लीटर		
	कुल योग		980
		- Calenter andar (andar	(आदेश की प्रति संलग्न करें)
14.			1
	आदेश/न्यायालयीन आदेश अग्रणीत आगत कर रिबेट की	_	
	अग्रणात आगत कर राखट क	- KIIKI	
15.	कुल योग (13+14)		
16.	केन्द्रीय विक्रय कर के विरूद्ध र	प्रमायोजित आगत कर रिबेट	01,
	की राशि		
17.	वर्ष 2024-25 के लिए अग्रणी	त आगत कर रिबेट की राशि	
18.	वेट के विरूद्व समायोजित आगत		
	(15)-(16+17)		
19.	शेष देय कर राशि (12-18)		
20.	धारा 18 (4) (क) के अधीन ब्य		
21.	धारा 18 (4) (ख) के अधीन	शास्ति की राशि (यदि देय	Ø:
	हो)		
22.	शेष देय कर, ब्याज एवं शास्ति	की कुल राशि (19+20+21)	O:
23.	चालानों द्वारा जमा राशि (यदि ।		O:
24.	टी.डी.एस. प्रमाण पत्रों की राशि		
F	मूल प्रति संलग्न करें, यदि पूर्व	में प्रस्तुत नहीं किया गया	
	हो)		
25.	वापसी समायोजन आदेश की रा	शि (आर.ए.ओ. क्रमांक)	0:
26.	जमा राशि का योग (23+24+2	5)	o:
	शेष अतिरिक्त मांग (22-26)		0:
27.		ाई राशि (पंक्ति क्र. 27 के	O:
	ा.सायदन के समय जमा का व		AND
27. 28	अनुपालन में चालान नम्बर एवं		

फर्म का नाम :

प्रारूप-ख

, v	
केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए	कर निर्धारण
प्रकरण में अधिसूचना क्रमांक दिनांकके अधीन	ा आवेद न
प्रति,	
कर निर्धारण अधिकारी	

.,,....

1	- DICIL	री का नाम एवं पता	- W-								
1,		करदाता का पहचान क्रमांक									
2.											
3.		गरा 18 की उपधारा (5) या धारा 19 की		हॉ / न	п						
		त (6) के अधीन आलोच्य अवधि के संबंध									
	में किसी अविध के लिए नोटिस जारी किया गया था यदि ''हाँ' तो नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न										
		दे ''हां' तो नोटिस की प्रतिनिप सलग्न									
	करें। ऐसी नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा										
4.		_	П								
	दिनांव										
5.		अन्तर्राज्यीय विक्रय									
6.	कटौति										
	(क)	पश्चातवर्ती विक्रय (सूची के साथ प्ररुप सी			9						
		/ई-1/ई-2, संलग्न करें)									
	(평)	अन्य कटौतियाँ (उसके विवरण एवं साक्ष्य									
		दें)									
		कुल कटौतिय	ř								
7.	कर य	ोग्य विक्रय (5-6)									
8.		कर योग्य विक्रय क									
	अ.क्र.	विवरण	विक्रय टर्न 3	गोवर							
	01.	''सी'' फार्म घोषणा पत्रों पर विक्रय									
		(सूची अनुसार)									
	02.	बिना "सी" फार्म घोषणा पत्रों के विक्रय									
9.	कुल व	कर योग्य विक्रय									
10.		कर योग्य विक्रय	पर देय कर की	राशि							
	अ.क्र.	वस्तु का विवरण	टर्न ओव्हर	कर दर	कर						
11.	तेट ३	 ाधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के	खण्ड (क) के	अनसार							
115	1	की राशि (यदि देय हो)		3							
12		धिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के	ज्यार (ज्य) के	भनगार							
12.		ाधानयम का चारा 18 का उपचारा (४) क की राशि (यदि देय हो)	G 05 (G) 47 .	Siegene							
13.		रेय कर, ब्याज एवं शास्ति (10+11+12) का	' योग								
14.		धिनियम से केन्द्रीय विक्रय कर के विरूद		ात कर							
		की राशि									
15.		त द्वारा जमा की गई राशि (यदि पूर्व में जन	ना की गई हो)								
16.	वापसी	समायोजन आदेश की राशि (आर.ए.ओ. इ	हमांक)								
17	योग	(14+15+16)		Heli access							
18.	शेष 3	ातिरिक्त मांग (13-17)	e E								
19.		न के समय जमा की गई राशि (चालान न	म्बर एवं दिनांक								
	विनि	र्देष्ट करें)	WI SING								

में		प्रोपरायटर/भागीदार/डायरेक्टर/कर्ता(एचयूएफ)								
	एतद्द्वारा सत्	यापित करता हूँ वि	n ऊपर दिए	गए तथ्य	मेरे ज्ञान	और विश्वार	से सत्य			
* 15										
स्थान ः										
दिनांक ः		हर	न्ताक्षर :							

प्रारूप-ग

मध्य	प्रदेश	मोटर	स्पिरट	उपक	र अपि	धेनिय	ाम, २०१	8 के	अधीन	द्रार्ष	202	3-24	की	अवधि	के
लिए	कर नि	र्धारण	प्रकरण	की उ	अधिसू	चना	क्रमांक			. दि	नांक				के
						अधी	न आवेट	न							

प्रति,

कर निर्धारण अधिकारी

......

- ।. ट्यवसाई का नाम:
- 2. पता :
- 3. टिन:
- 4. मोटर स्पिरिट की बिक्री का सकल आवर्त
- 5. पंजीकृत डीलर, जिससे मोटर स्पिरिट क्रय किया गया है, का विक्रय मूल्य, इस शर्त के साथ कि, बिक्री करने वाले पंजीकृत डीलर द्वारा उक्त आवर्त पर देय उपकर अदा कर दिया है।
- 6. मोटर स्पिरिट का आवर्त (यदि पंक्ति 5 में सम्मिलित नहीं हो) -
 - (एक) मध्य प्रदेश राज्य के बाहर
 - (दो) अंतरराज्यीय व्यापार के अनुक्रम में
 - (तीन) भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में
 - (चार) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 की केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को की गई बिक्री।
- 7. कोई अन्य कटौती
- 8. मोटर स्पिरिट का कर योग्य आवर्त [(4)-(5+6+7)]
- 9. वह दर जिस पर उपकर अदा किया जाना है
- 10. देय उपकर की राशि
- 11. देय ब्याज
- 12. देय शास्ति
- 13. देय अन्य राशि
- 14. कुल देय राशि [10+11+12+13]
- 15. चालान द्वारा जमा की गई राशि
- 16. चालान का विवरण-

क्रमांक	अवधि	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	राशि
71.011-1.				
		3		
			योग	

17. वापसी समायोजन आदेश की राशि	
18. शेष अतिरिक्त मांग की राशि [14-(15+16+17)]	
	अन्यान में सम्बद्ध सम्बद्ध
19. आवेदन के साथ जमा की गई राशि (पंक्ति क्र 18 के	अनुपालन म चालान नम्बर एप ।पनापर)
-	प्रोपरायटर/भागीदार/डायरेक्टर/कर्ता (एचयूएफ)
एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उ	कार दिए गए तथ्य मेरे जात और विशास से सत्य
एतद्द्वारा सत्यापत करता हू कि उ	विद् विद् विद् विद् विद् विद
1考	
स्थान	
दिनांक	हस्ताक्षर :
दिनायर	
	फर्म का नाम :
	, and the second
प्रारूप-घ	
, , , , ,	
मध्य प्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 20	
के लिए कर निर्धारण प्रकरण की अधिसूचना क्रमांव	
के अधीन आवे	दन
प्रति,	
कर निर्धारण अधिकारी	
1. व्यवसाई का नामः	
2. पता :	
3. ਟਿਜ:	
 साई स्पीड डीजल की बिक्री का सकल आवर्त पंजीकृत डीलर, जिससे हाई स्पीड डीजल क्रय किया ग 	का है का विकास सन्त्रा हम शर्न के मांश कि
3. पंजाकृत डालर, जिसस हाइ स्पांड डाजल क्रय किया ग बिक्री करने वाले पंजीकृत डीलर द्वारा उक्त आवर्त पर देख	
विष्रम पर्यं पाल पंजाकृत असर द्वारा उस अस्ति पर पर	न उपयार अदा कर दिया है।
6. हाई स्पीड डीजल का आवर्त (यदि पंक्ति 5 में सम्मिलित	न नहीं हो) =
(एक) मध्य प्रदेश राज्य के बाहर	
(दो) अंतरराज्यीय व्यापार के अनुक्रम में	
(तीन) भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में	
10	(2005 की केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) के
प्रावधाना क तहत सरकार द्वारा आधर की गई बिक्री।	म्चित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को
का गड़ ।बक्रा। 7. कोई अन्य कटौती	
8. हाई स्पीड डीजल का कर योग्य आवर्त [(4) - (5+6+7)]	
9. वह दर जिस पर उपकर अदा किया जाना है	
10. देय उपकर की राशि	
11. देय ब्याज	
12. देय शास्ति	*
13. देय अन्य राशि	
14. कुल देय राशि [10+11+12+13]	
15. चालान द्वारा जमा की गई राशि	
16. चालान का विवरण-	
क्रमांक शासक सामान	प्रभाव दिवांक । गणि

क्रमांक	अवधि	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	राशि	
योग			+		

- 17. वापसी समायोजन आदेश की राशि
- 18. शेष अतिरिक्त मांग की राशि [14-(15+16+17)]
- 19. आवेदन के साथ जमा की गई राशि (पंक्ति क्र 18 के अनुपालन में चालान नम्बर एवं दिनांक)

	में	प्रोपरायटर/भागीदार/डायरेक्टर/कर्ता (एचयूएफ)
		एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य
門		
स्थान		
दिनांक		हस्ताक्षर:
		फर्म का नाम :
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
	- 4	मध्यप्रदश के राज्यपाल के नान से तथा आपरानुसार, अरूण कुमार सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2025

क्र. CT-4-2-0001-2024-1-Sec-पांच (CT).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-4-2-0001-2024-1-पांच (CT) (21), दिनांक 3 जून 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण कुमार सिंह, उपसचिव.

Bhopal, dated 3rd June 2025

CT/4/2/0001/2024-Sec-1-05(CT)(21): In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1-B) of Section 20-A of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No.20 of 2002), the State Government, hereby, notifies that the assessments of the registered dealers for the cases of year 2023-24, pending under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002, (No. 20 of 2002), Central Sales Tax Act, 1956 (Act No 74 of 1956), Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam, 2018 (No. 11 of 2018) and Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018 (No. 12 of 2018), shall be deemed to have been made for the purpose of sub-section (1) of section 20 of the Madhya Pradesh VAT Act 2002, Section 9 of the Central Sales Tax Act 1956, Section 13 of the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam 2018 and Section 13 of the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018, subject to following requirements, restrictions and conditions, namely:-

1. The registered dealers shall be the retail outlets (commonly known as Petrol pumps) of only such Petrol, Diesel and Compressed Natural Gas, which are purchased after payment of tax/cess under the Madhya Pradesh VAT Act, The Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam and the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam from any of the oil companies notified under sub section (2) of Section 9 of the Madhya Pradesh VAT Act or from any other registered dealer in the State of Madhya Pradesh.

- 2. Following registered dealers shall not be eligible under this notification
 - (a) The dealers in whose cases tax evasion has been detected for the year 2023-2024.
 - (b) The dealers in whose cases notice has been issued for additional amount of tax under clause (b) of sub-section (5) of section 18 of the VAT Act for the year 2023-2024 and compliance has not been done before submission of application.
 - (c) The dealers in whose cases notice has been issued under sub-section (6) of section 19 of the VAT Act for the year 2023-2024, after Tax Audit and compliance has not been done before submission of application.
 - (d) In case any kind of refund under the Acts, is claimed in the appended form, for the relevant year.
- 3. Submission of Application:- An application shall be submitted separately in Form-A, B, C or D appended to this notification under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002, (No. 20 of 2002), Central Sales Tax Act, 1956 (Act No 74 of 1956), Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam, 2018 (No. 11 of 2018) and Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018 (No. 12 of 2018).
- 4. **Time limit for submission of the application**: An application in the appended forms shall be submitted by the eligible dealer within 90 days from the publication of this notification.
- 5. **Assessing officer**: Application shall be submitted to the appropriate Assessing Officer before whom the assessment case for the year 2023-24 is pending.
- 6. Documents to be enclosed with the application:-
 - (a) A copy of challan in proof of payment of amount of tax and interest if any, paid for relevant year.
 - (b) Every dealer whose turnover during the year 2023-2024 exceeds Rs.2 crore shall submit an audit report, if not submitted already, prepared by the Chartered Accountant for Income Tax purpose.
 - (c) The declaration prescribed for exemption of tax and concessional rate of tax under the Central Sales Tax Act (Form-C/F/E-1/E-2/H/I) shall be enclosed along with the list.
- 7. Procedure to be followed under which assessment shall be deemed to have been made:-
 - (a) If the assessing officer, before whom an application is submitted, finds it incomplete or any error in respect of calculation is detected, he shall provide one opportunity of hearing to the applicant.
 - (b) If any error as aforesaid is found, a show cause notice shall be issued after recording the reasons thereof and the date of hearing shall be fixed and communicated to the applicant.
 - (c) The applicant shall rectify the error, if any, and file the documents. After the removal of error the competent officer shall accept the application and thereupon assessment shall be deemed to have been made.
 - (d) If the dealer remains absent on the date fixed for hearing or the error is not removed, the application shall be rejected and intimation thereof shall be sent to the dealer.
 - (e) The intimation for acceptance of the application shall be sent within 30 days from the date of application. In case communication within above mentioned period is not given to the dealer, it shall be presumed that his application has been accepted.
 - (f) With the appended application form, copy of the Challan as proof of payment of the additional demand shall be attached mandatorily.
 - (g) Appropriate instructions for the implementation of the notification may be issued by the Commissioner, Commercial Tax.

FORM-A

Application under the Notification no.----- dated------ for the assessment case of year 2023-24 under Madhya Pradesh VAT Act, 2002 To,

The Assessing Officer,

ī	Nan	ne and address of Dealer		
2	(TI)	N) Taxpayers Identification N	0	
3	Whether a notice under sub-section(5) of section 18 or sub-section (6) of section 19 was issued for any period in relation to the relevant year. If "Yes" then attach copy of notice.		ection 19 elation to	Yes/No
1	Description and date of compliance of such notice		iance of	11 100 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5		ss turnover		7
6		luctions:-		
	(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)	Cost of freight or delinstallation separately charge Amount of cash discount Amount of sales return womenths. Amount of sale of goods tax free. Sales outside the State/and branch transfer.(Attach along with list) Amount of InterState sales Sales in the course of export the territory of India. Sales to SEZ unit inside to (with evidence) Other deductions (give parand evidence) Total deductions (a to i)	ithin six declared nount of F form rt out of he State	
7		Taxable Turnover (5-6)		<u> </u>
3.			classification of t	axable turnover
	Rate		xable Sales	Tax payable
	33 percent			
	29 p	29 percent		
	23 p	ercent		
	19 p	ercent	100000	
	14 p	ercent		
	Tota	1		

9,	Reversal of Input tax rebate (including evaporation and self used)				
	Rate	Purchase amount for Reversal	ITR for which reversal done.		
	33 percent				
	29 percent				
	23 percent	72-0	3		
7:	19 percent				
	14 percent		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		
	Total				

10.	Additional tax under Section 9-AA			
	Additional tax per liter	Total Sales (in liter)	Payable Additional tax	
	Rs. 4.50			
	Rs. 2.50			
	Rs. 3.00			
	Rs. 1.50		***	
Т	Total		7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	

П	Reversal of Input tax rebate of Additional tax under Section 9-AA (including evaporation and self used)		
	Rate	Purchase for Reversal (in liter)	ITR for which reversal done.
	Rs. 4.50		
	Rs. 2.50		
	Rs. 3.00		
7	Rs. 1.50		
	Total		

12.	Total Tax Liabilities		
	Total (8+9+10+11)		

13.	Cal	culation of input tax rebate	
	Rate/ Additional tax per liter	Purchase amount for input tax rebate / purchase in liter	Input tax rebate
	33 percent		
	29 percent		1040 4100
	23 percent		
	19 percent		
	14 percent		7
	Rs. 4.50		
	Rs. 2.50		
	Rs. 3.00		
	Rs. 1.50		
	Total		

14.	Carry forwarded Input tax rebate for year 2023-2024 in assessment order/ Appeal order/ Court order for year 2022-2023	(attach copy of the order)
15.	Total (13+14)	
16.	Amount of Input tax rebate adjusted against Central Sales Tax	
17.	Amount of Input tax rebate carried over for the year 2024-2025	
18.	Amount of Input tax rebate adjusted again VAT (15) - (16+17)	
19.	Remaining amount payable (12 - 18)	2 1
20.	Amount of interest (if payable) according to section 18(4)(a)	
21.	Amount of penalty (if payable) according to section 18(4)(b)	
22.	Total amount of tax, interest and penalty payable (19+20+21)	,
23.	Amount deposited by challan (if deposited previously)	
24.	Amount of TDS Certificates (Attach original copies of TDS Certificates, if not submitted earlier.)	
25.	Amount of refund adjustment order (RAO No.)	
26.	Total amount deposited (23+24+25)	
27.	Remaining additional demand (22-26)	
28.	Amount deposited at the time of application (Challan number and date in compliance of row no. 27)	

1,	
Proprietor/Partner/Direct	or/ Karta (HUF) of
hereby verify that the abo	ove facts are true to the best of my knowledge and belief.
Place:	Signature
Date:	Name of Firm

FORM-B

_	_
п	Γ_{α}

The Assessing Officer,

ı	Dealer's name and address				
2	TIN (Taxpayers Identification No)				
3	Whether a notice under sub-section section 18 or sub-section (6) of section issued for any period in relation to the year. If "Yes" then attach copy of notice				
4	Description and date of compliance	Description and date of compliance of such			
5	Gross InterState sales				
6	Deductions				
	a Subsequent sales (attached Form E-1/E-2 along with list)	n C and			
	b Other deductions (give deta evidence thereof)	ils and			
	Total ded				
7	Taxable sales (5-6)				
8	Rate wise clas	Rate wise classification			
	Description		Sales	turnover	
	I Sales against 'C' Form declarations (as per list)	E 211			
36	2 Sales without 'C' Form declaration			1	- "
9	Total taxable turnover				
10	Payable tax on taxable turnover				
	Sr. Description of Goods No.		Taxable Sales	Tax Rate	Tax Payable
=				-	-
11	Amount of interest (If payable) as per cl of sub-section (4) of section 18 of VAT				
12	Amount of penalty (If payable) as per cl of sub-section (4) of section 18 of VAT				
3	Total Tax payable, interest thereon and penalty, (10+11+12)				
4	Amount of Input tax rebate adjusted the Central Sales Tax from VAT Act.				
15	Amount deposited by challan (if de				
5	previously) Amount of refund adjustment (RAO no.)				
7	Total (14+15+16)				
3	Remaining additional demand (13-17)				
)	Amount deposited at the time of appl (specify challan: number and date)				

1,	
Proprietor/Partner/Director/ K	arta (HUF) of
hereby verify that the above fa	acts are true to the best of my knowledge and belief.
Place:	Signature
Date:	Name of Firm

FORM-C

Application under the Notification no. ----- dated -----for the assessment case of year 2023-24 under Madhya Pradesh Motor Spirit
Upkar Adhiniyam, 2018.

le

(iv) Made to unit located in a Special Economic Zone notified by the Government under the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No. 28

7. Any Other deduction

of 2005)

- 8. Taxable turnover of sales of Motor Spirit [(4)-(5+6+7)]
- 9. Rate at which cess payable.
- 10. Amount of Cess payable
- 11. Interest payable
- 12. Penalty payable
- 13. Any other Amount payable
- 14. Total Amount payable [10 + 11 + 12 + 13]
- 15. Amount paid by challan.

16. Description of challan

S. No.	Period	Challan Number	Challan Date	Amount
	37-			
			Total	

- 17. Amount of refund adjustment order
- 18. Amount of demand to be paid [14 (15 + 16 + 17)]
- 19. Amount deposited at the time of application (Challan number and date in compliance of row no. 18)

Proprietor/Partner/Directo	r/ Karta (HUF) of
hereby verify that the above	ve facts are true to the best of my knowledge and belief.
Place:	Signature
Date:	Name of Firm
	FORM-D
	ander the Notification no datedcase of year 2023-24 under Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018.
	case of year 2023-24 under Madhya Pradesh High Speed Diese

- 1. Dealer's Name:
- 2. Address:
- 3. TIN:
- 4. Gross turnover of sales of High Speed Diesel
- 5. Turnover of High Speed Diesel at the hands of the registered dealer from whom it has been purchased, subject to condition that the selling registered dealer has paid cess of such sale price
- 6. Turnover of High Speed Diesel (If not included in Sr. No. 5.)
 - (i) Outside the state of Madhya Pradesh
 - (ii) In the course of interstate trade

- (iii) In the course of export of the High Speed Diesel out of India
- (iv) Made to unit located in a Special Economic Zone notified by the Government under the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No. 28 of 2005)
- 7. Any Other deduction
- 8. Taxable turnover of sales of High Speed Diesel [(4)-(5+6+7)]
- 9. Rate at which Cess payable.
- 10. Amount of Cess payable
- 11. Interest payable
- 12. Penalty payable
- 13. Any other Amount payable
- 14. Total Amount payable [10 + 11 + 12 + 13]
- 15. Amount paid by challan.
- 16. Description of challan

S. No.	Period	Challan Number	Challan Date	Amount
			Total	

- 17. Amount of refund adjustment order
- 18. Amount of demand to be paid [14 (15 + 16 + 17)]
- 19. Amount deposited at the time of application (Challan number and date in compliance of row no. 18)

I,	
Proprietor/Partner/Director/	Karta (HUF) of
hereby verify that the above	e facts are true to the best of my knowledge and belief.
Place:	Signature
Date:	Name of Firm

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN KUMAR SINGH, Dy. Secy.